

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2464/2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 20 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2112/11-सी-एफ0पी0/ यू0पी0/अन्य/ 16134 / 2015 दिनांक 22.02.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प के प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार है:-

क0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	ऑन लाईन पार्ट- 11 के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड करे तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड करें।	ऑन लाईन पार्ट-11 के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड कर दिया गया है तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव क्रम संख्या-FP/UP/Road/ 420963/2023

संज्ञा/स्वीन का स्थान	सोनीली-बलिया मार्ग एसएचएच-10 कि०मी० 153-154 के करीब एस्सार डायरेक्ट लिमिटेड द्वारा गारा संख्या-547 भी० ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग सहरील-सदर, जनपद-देवरिया में पेट्रोल पम्प की स्थापना में एप्रोव मार्ग हेतु 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना पूरा चलान हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।
I-राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ०प्र० राज्य
II-जिला	देवरिया
III-वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
IV-वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हे०
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI-प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंघाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एकड्रासएल्ड-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	-
VII-हरियाली का घनत्व	0.4
VIII-भूस्तरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	लागू नहीं
IX-वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X-क्या धर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व झाड़ी कर्णिकार आदि का भा है (यदि हाँ हो तो का भीतर और प्रमुख वन्य जीव बाहरी की टिप्पणियाँ अनुसन्धित की जाय)।	रिक्त है।
XI-क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्रायोजक की दुर्लभ/संक्रियण/सिंक्रिय प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो संसम्बन्धित व्योरा दे ?	नहीं
7-क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्तल/सा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ बहि उपस्थित हो ती।	नहीं
8-प्रयोजक एजेन्सी द्वारा मांग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाय गये विकल्पों के भीतर के साथ महत्कार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	संलग्न है।
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनियमित क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या-प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	लागू नहीं
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनियमित वनेतर//अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाते मैप	रिक्त ।
(iii) स्थापित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यसूचक एजेन्सी, सक्षम अनुसूची लागत द्वारा आदि	रिक्त ।
IV प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिवलय	₹ 165770.00
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनियमित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रथमकीय बुद्धिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	रिक्त ।
11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये लक्ष्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	संलग्न प्रमाण, देवरिया, जनपद-देवरिया पो० नं० 7839435132
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि०मी० या 2527200.00 हे०
(ii) जिले का वन क्षेत्र	264.345 हे०
(iii) नामली की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	23/160.1626 हे०
IV 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	-
(ख) वनेतर भूमि पर	-
(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
(क) वन भूमि पर	56.198 हे०
(ख) वनेतर भूमि पर	0.16
13-प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित उपस्थित ।

दिनांक - 20/04/2024

नाम - (जगदीश आर)

स्थान - देवरिया

मुहर - प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

R. J. J. J.